दूरभाष : 26175176
फैक्स : 26162093
ई-मेलः ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या 11/232/2018-उ.नि.(परीक्षा)/ 103

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-2, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 110066.
दिनांक: 9/1/2019

सेवा में,

उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक,
मध्योत्तर/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम,
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली/गुवाहाटी/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/हैदराबाद/बेंगलूरु

विषयः-**हिंदी भाषा प्रवीण, प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध के प्रशिक्षार्थियों का प्रणाली के अंतर्गत नवंबर, 2018 में आयोजित परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम**

महोदय/महोदया,

नवंबर 2018 में आयोजित हिंदी भाषा प्रवीण, प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं का परिणाम प्रणाली के अंतर्गत दिनांक 31.12.2018 को घोषित किया गया है। आपके क्षेत्र से संबंधित परीक्षार्थियों का, उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा प्रमाणित परीक्षा परिणाम, प्रणाली में प्रशिक्षण कार्यक्रम-प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत क्षेत्रीय उप निदेशकों/प्रभारी/संकाय सदस्यों/हिंदी प्राध्यापकों द्वारा प्रिंट निकाला जा सकता है।

2. नियमानुसार हिंदी भाषा प्रवीण, प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षा के प्रत्येक (तीनों) प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम 35 अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त परीक्षार्थी उत्तीर्ण है। किंतु किसी एक प्रश्न-पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पूरक घोषित किया गया है।

3. नवंबर 2018 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए परीक्षार्थी मई, 2019 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होंगे लेकिन उनका विस्तृत विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी पंजीकरण संख्या ही प्रयोग में लानी होगी। नवंबर, 2018 के पूरक परीक्षार्थी अगर मई, 2019 की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा देनी होगी, जिनका पंजीकरण क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा किया जाएगा।

-2-

4. पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संगठनों, निगमों, निकायों, बैंकों आदि के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्रॉफ्ट 'उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली' के पक्ष में भेजना होगा।

5. जिन परीक्षार्थियों ने प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा के लिखित दोनों प्रश्न-पत्रों में 110 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए है, उन्हें नकद पुरस्कार देय है बशर्ते कि वे राजभाषा विभाग द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

6. परीक्षा परिणाम प्रणाली के अतिरिक्त राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

7. अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों एवं केंद्रों को परीक्षा परिणाम भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीया

9/1/19

(स्नेह लता)
उप निदेशक (परीक्षा)
कोड chti 1122